रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245326
CG-DL-E-22042023-245326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945
No. 1750] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल,2023

का.आ. 1832(अ)—तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

और, उक्त अधिसूचना के पैरा 11 वैधता अवधि के दौरान एक विधिक व्यक्ति से दूसरे विधिक व्यक्ति को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) स्थानांतरित करने का उपबंध करता है।

और, उक्त अधिसूचना में वैधता अवधि के दौरान एक पर्यावरण मंजूरी को विभाजित करने और इसे एक से अधिक विधिक व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं करती है;

और, पर्यावरणीय मंजूरी के ऐसे विभाजन की प्रक्रिया के संबंध में और अधिक एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए, मंत्रालय सुसंगत उपबंधों को करना आवश्यक समझता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, उक्त नियम के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से छुटकारा प्राप्त कर सकता है;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस अधिसूचना को जारी करने के लिए उक्त नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से छुटकारा प्राप्त करना जनहित में है;

अत; अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में, अधिसूचना संख्या 1533 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 11 में उप-पैरा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) खनन परियोजनाओं को छोड़कर, किसी विशेष परियोजना के लिए प्रदान की गई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी दो या अधिक विधिक व्यक्तियों के मध्य किया गया विभाजन, परियोजना शुरू करने के लिए हकदार है और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को परिवेश पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप में हस्तांतरणकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर किसी अन्य विधिक व्यक्ति की वैधता के दौरान स्थानांतरित करेगा। संबंधित विनियामक प्राधिकरण संबंधित परियोजनाओं के लिए अन्य विधिक व्यक्तियों हेतु संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को विभाजित और अंतरित करेगा।"

[फा. सं. आईए 3-22/4/2023-आईए.III]

डॉ.सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 3194 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2023

S.O. 1832(E)—Whereas, the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has issued the notification vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extra ordinary, part II, section-3, sub section (ii);

And whereas, para 11 of the said notification provides for transferring the prior Environmental Clearance (EC) from one legal person to another legal person during the validity period;

And whereas, the said notification does not have explicit provision for splitting an Environmental Clearance and transferring it to more than one legal person during the validity period;

And whereas, with regard to the process of such splitting of EC and to bring about greater uniformity and transparency, the Ministry deems it necessary to make relevant provisions;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub- rule (3) of the said rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub –rule (3) of rule 5 of the said rules to issue this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby, in public interests makes the following amendment in the notification number 1533, namely:-

In the said notification, in the Para 11, after sub-paragrapgh (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1A) A prior-Environmental Clearance granted for a specific project, except mining projects may be split amongst two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during the validity to another legal person on application made by the transferor in the format specified on PARIVESH portal to the concerned Regulatory Authority along with requisite documents. The concerned Regulatory Authority shall split and transfer the prior-Environmental Clearance, on recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee to the other legal persons for the respective projects.

[F. No. IA3-22/4/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide notification number S.O.3194(E), dated the 14th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA